

## NUMBER OF SCAMS IN MCF

**\*1866. SHRI NEERAJ SHARMA, M.L.A.:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state:-

- a) the number of scams exposed in the Municipal Corporation, Faridabad from the year 2014 to December, 2021 togetherwith the number of scams handed over to the Vigilance Department for investigation; and
- b) the details of recommendations made by the Vigilance Department in the inquiry of abovesaid scams togetherwith the action taken by the Government against the guilty officers/officials alongwith the details thereof?

**DR. KAMAL GUPTA, URBAN LOCAL BODIES MINISTER**

Sir, a statement is laid on the Table of the House as **Annexure-‘A’**.

### ANNEXURE-‘A’

The status of cases received from Vigilance Department pertaining to Municipal Corporation, Faridabad for the period from 2014 to December, 2021						
Sr. No.	Inquiry No.	Reason for Registration	Against	Allegation	Recommendation/Decision of the Vigilance Department	Action taken by the Urban Local Bodies Department
A	B	C	D	E	F	G
1.	01 dated 01.08.2014 Faridabad	This inquiry has been registered by Vigilance Department, Haryana vide memo No. 52/57/2013-1Vig (II) dated 17.07.2014 on the basis of complaint	Officers/Officials of Municipal Corporation, Faridabad.	Causing financial loss to Municipal Corporation by not keeping record of Bank Accounts, Monthly income/Expenditure and Audit in connivance with each other.	Decision has been taken by the Vigilance Department Government of Haryana vide memo No. 52/57/2013-Vig. (II) dated 26.02.2019 and communicated to ULB Department. The allegations were levied against the Accounts Personnel posted at MCF regarding	Urban Local Bodies Department after examination has directed Municipal Corporation, Faridabad to initiate process in respect of recovery of amount of dishonoured cheques as suggested by the Vigilance Department of

**The status of cases received from Vigilance Department pertaining to  
Municipal Corporation, Faridabad for the period from 2014 to December,  
2021**

<b>Sr No.</b>	<b>Inqui ry No.</b>	<b>Reason for Registrati on</b>	<b>Against</b>	<b>Allegation</b>	<b>Recommendati on/Decision of the Vigilance Department</b>	<b>Action taken by the Urban Local Bodies Department</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
		dated 15.04.2014 received from Shri Ravinder Chawla, R/o H. No. 5J/46, NIT Faridabad.			opening of many banks accounts, non-reconciliation of banks accounts with the cash book, non-initiating action in respect of dishonoured cheques, not uploading the details of incomes and expenditures on the official website, non-execution of agreements with the outsourcing agencies, non-deposition of PF amount of regular employees. All these allegations were inquired by the Vigilance Department and none of these allegations against the officers/officials were proved. However, Vigilance Department suggested that MCF may take appropriate action regarding the dishonoured cheques.	the State Government. MCF has recovered Rs. 1.37 crores in respect of 502 dishonoured cheques against total amount of Rs. 4.49 crores on account of 1182 dishonoured cheques so far. Action for recovery of remaining amount of Rs. 3.12 crores in respect of 680 dishonoured cheques is under process.
2.	Inquiry No. 01 dated 06.01.2015	For concealing evidence in transferring of 8012 Sq. Yds.	1. Vinod Singh, Assistant Engineer, Municip	For concealing evidence in transferring of 8012 Sq. Yds. Governme	The Vigilance Department, Haryana had decided to register criminal case against Officers/Officials	(i) The case is under investigation of State Vigilance Bureau and action will be

<b>The status of cases received from Vigilance Department pertaining to Municipal Corporation, Faridabad for the period from 2014 to December, 2021</b>						
<b>Sr . No .</b>	<b>Inqui ry No.</b>	<b>Reason for Registrati on</b>	<b>Against</b>	<b>Allegation</b>	<b>Recommendati on/Decision of the Vigilance Department</b>	<b>Action taken by the Urban Local Bodies Department</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
		<p>Government land in NIT Faridabad to M/s Indian Hardware Industries limited and for sanctionin g the plans on the basis of bogus document in connivanc e with land owners.</p>	<p>al Corpora tion, Faridab ad</p> <p>2. Daya Kishan Solanki, Junior Enginee r</p> <p>3. Satish Aggarw al, XEN</p> <p>4. Officers/ Officials , District Town Planner and private persons.</p>	<p>nt land in NIT Faridabad to M/s Indian Hardware Industries limited and for sanctioning the plans on the basis of bogus document in connivance with land owners.</p>	<p>of Municipal Corporation, Faridabad &amp; private persons in the inquiry No. 01 dated 06.01.2015 Faridabad. In this inquiry, FIR No.03 dated 22.08.2019 was registered under sections 420, 467, 468, 471, 120B of IPC and 13 (1) of P.C. Act at Police Station, State Vigilance Bureau, Faridabad.</p>	<p>taken after the finalization of the investigation by the Vigilance Department of the State Government.</p> <p>(ii) Simultaneousl y, the State Government has decided to issue charge-sheet under Rule-7 of the HCS (P&amp;A) Rules, 2016 against the officers/official smentioned therein.</p> <p>(iii) The charge-sheet issued to Shri Rajesh Nandan, Head Draftsman (now Circle Head Draftsman) had been dropped by Municipal Corporation, Faridabad subject to the final outcome of the vigilance inquiry under intimation to State Government.</p> <p>(iv) S/Shri Vinod Singh, AE &amp; D.K.</p>

**The status of cases received from Vigilance Department pertaining to  
Municipal Corporation, Faridabad for the period from 2014 to December,  
2021**

<b>Sr. No.</b>	<b>Inquiry No.</b>	<b>Reason for Registrati on</b>	<b>Against</b>	<b>Allegation</b>	<b>Recommendati on/Decision of the Vigilance Department</b>	<b>Action taken by the Urban Local Bodies Department</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
						Solanki, the then JE (retired as AE) who were posted at the relevant time in Building & Survey Branch had already been exonerated from the charges by the State Government vide memo No. 12/104/2019-5C1 dated 27.04.2020.
3.	05 dated 26.04.2019 Faridabad	This inquiry has been registered vide Memo No. 52/10/2019-2Vig(II) dated 24.04.2019 by the Government of Haryana, Vigilance Department on the basis of Source report No. 02 Dated 06.01.2019 Faridabad.	Officers/Officials of Municipal Corporation, Faridabad.	Causing financial loss to the tune of crores of rupees by Officers/Officials of Municipal Corporation, Faridabad by doing irregularities while constructing bituminous road on the periphery road in the Badhkhal Vidhan Sabha constituency from Budha Vihar Chowk to	The said inquiry has been cancelled by the Government of Haryana, Vigilance Department vide memo No. 52/10/2019-2Vig.(II) dated 22.04.2021 as this inquiry No. 05 dated 26.04.2019 is a part of inquiry No. 06 dated 10.05.2019 (Sr. No. 4 of the table) & the allegations contained in the said inquiry is being investigated in inquiry No. 6 dated 10.05.2019 (Sr. No. 4 of the table).	No action is required to be taken in inquiry No. 05 dated 26.04.2019 by ULB Department.

<b>The status of cases received from Vigilance Department pertaining to Municipal Corporation, Faridabad for the period from 2014 to December, 2021</b>						
<b>Sr. No.</b>	<b>Inquiry No.</b>	<b>Reason for Registration</b>	<b>Against</b>	<b>Allegation</b>	<b>Recommendation/Decision of the Vigilance Department</b>	<b>Action taken by the Urban Local Bodies Department</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
				ITI, ITI to Neelam Chowk, Neelam Chowk to Hardware Chowk, Hardware Chowk to Vihar Chowk.		
4.	06 dated 10.05.2019 Faridabad	This inquiry has been registered vide memo No. 52/22/2019-2Vig(II) dated 06.05.2019 by the Government of Haryana, Vigilance Department on the basis of inquiry received from the Urban Local Bodies Department Vide memo No. 21/58/2018-5CI dated 12.12.2018	1. Daulat Ram Bhaskar (D.R. Bhaskar), CE, Municipal Corporation, Faridabad. 2. Deepa k Thapar, the then Joint Director (Audit). 3. B.K., XEN. 4. Shyam Singh, XEN. 5. Ajay Kumar, XEN. 6. Ramesh Bansal, Superintendent	Causing financial loss of crores of rupees by Shri D.R. Bhaskar, Chief Engineer and Officers/Officials, Municipal Corporation, Faridabad and others by doing irregularities for constructing the Drain and Pulia in the Kalyan Puri Basti No. 3, NIT Faridabad and in making bituminous road on the periphery road from	State Vigilance Bureau vide memo No. 414 dated 11.01.2022 has suggested the Vigilance Department, Haryana for registration of criminal case against all the delinquents under section 166, 167, 218, 120-B, 201 IPC and 13 (1) DRW, 13 (2) of P.C. Act. State Government issued directions to SVB for registering an FIR w.r.t. part 6 & 7 of the allegation No. 3 against the delinquents. Apart from this, a clarification has been sought from SVB & EIC, PWD (B&R) on some points.	The recommendation/ decision is awaited from the Vigilance Department of the State Government.

The status of cases received from Vigilance Department pertaining to Municipal Corporation, Faridabad for the period from 2014 to December, 2021						
Sr . No .	Inquiry No.	Reason for Registrati on	Against	Allegation	Recommendati on/Decision of the Vigilance Department	Action taken by the Urban Local Bodies Department
A	B	C	D	E	F	G
			ng Engineer 7. Madan Mohan Sachdeva, Junior Engineer 8. Naval Singh, Assistant Engineer 9. Khem Chand, Assistant Engineer 10. Sher Singh, Junior Engineer 11. Prem Raj, XEN 12. Pankaj Kumar, Clerk 13. Pradeep, Clerk 14. Tasleem, Clerk 15. Satbir Singh, Contractor 16. Raj Kumar Gandhi , Prop. M/s R.K. Gandhi	Budha Vihar Chowk to ITI, ITI to Neelam Chowk, Neelam Chowk to Hardware Chowk, Hardware Chowk to Budha Vihar Chowk.		

<b>The status of cases received from Vigilance Department pertaining to Municipal Corporation, Faridabad for the period from 2014 to December, 2021</b>						
<b>Sr . No .</b>	<b>Inqui ry No.</b>	<b>Reason for Registrati on</b>	<b>Against</b>	<b>Allegation</b>	<b>Recommendati on/Decision of the Vigilance Department</b>	<b>Action taken by the Urban Local Bodies Department</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
			, P.S. Constr uction and his firms 17. Shri Radha Prop. M/s Radha Concre te produc tion and his firm.			
5.	02 dated 12.03. 2020 Farida bad	This inquiry has been registered vide memo No. 52/204/20 19-2Vig (II) dated 08.03.202 0 by the Governme nt of Haryana, Vigilance Departme nt on the basis of proposal/c omplaint of Urban Local Bodies Departme nt.	Officers/Of ficials of Municipal Corporatio n, Faridabad and Shri Chet Ram, the then Patwari, Ballabhgar h.	Regarding encroachm ent on the land of Kalpana Chawla park by Land Mafia in connivance with Political &Administr ative Officers of Ballabhgar h City. Kalpana Chawla park is the only approx.40 years old park. All residents of Ballabhgar h use this park for health benefit but as per the report received	State Vigilance Bureau vide memo No. 2660 dated 18.02.2022 has suggested the Vigilance Department, Haryana for registration of criminal case against Shri Chet Ram, the then Patwari, Ballabhgarh under P.C. Act. State Government issued directions to SVB for registering an FIR against Shri Chet Ram, Patwari under 5 (d) of PC Act.	The recommendati on/ decision is awaited from the Vigilance Department of the State Government.

The status of cases received from Vigilance Department pertaining to Municipal Corporation, Faridabad for the period from 2014 to December, 2021						
Sr. No.	Inquiry No.	Reason for Registration	Against	Allegation	Recommendation/Decision of the Vigilance Department	Action taken by the Urban Local Bodies Department
A	B	C	D	E	F	G
				from the newspapers, there is an allegation of encroachment done by people on the park in connivance with the Officers/Officials of Municipal Corporation.		
6.	02 dated 10.02.2021 Faridabad.	This inquiry has been registered vide Memo No. 52/45/2020-5Vig(II) dated 05.02.2021 by the Government of Haryana, Vigilance Department on the basis of complaint dated nil received from complainants Shri Deepak Choudhary, Councillor, Ward No. 37, MC, Faridabad and other Councillors.	1. Daulat Ram Bhaskar (D.R. Bhaskar), Chief Engineer, Municipal Corporation, Faridabad. 2. Deepak Thapar, the then Joint Director (Audit) 3. Raman Sharma, XEN 4. Sher Singh, AE (died) 5. Deepak Kumar, Assistant Junior Engineer 6. Rajan Tiwatia,	Allegation regarding irregularities committed in execution of development works in different wards of Municipal Corporation, Faridabad.	State Vigilance Bureau vide memo No. 1838 dated 04.02.2022 has suggested the Vigilance Department, Haryana for registration of criminal case against all the delinquents under section 166, 167, 218, 420, 409, 467, 468, 471, 120-B, 201 IPC and 7, 13 of P.C. Act. After examination of the inquiry report, the Vigilance Department has asked the State Vigilance Bureau to re-examine the inquiry report on certain points.	The decision is awaited from the Vigilance Department. Further, Urban Local Bodies Department has decided to issue charge-sheet under Rule 7 of the HCS (P&A) Rules, 2016 against S/Shri D.R. Bhaskar, the then CE, Raman Sharma, the then XEN and Vishal Kaushik, Accounts Officer. Accordingly, Commissioner, MCF has been requested on 23.11.2021 to send the drafts of charge-sheet against the above officers/officials. Action will be taken



<b>The status of cases received from Vigilance Department pertaining to Municipal Corporation, Faridabad for the period from 2014 to December, 2021</b>						
<b>Sr . No .</b>	<b>Inqui ry No.</b>	<b>Reason for Registrati on</b>	<b>Against</b>	<b>Allegation</b>	<b>Recommendati on/Decision of the Vigilance Department</b>	<b>Action taken by the Urban Local Bodies Department</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
			Junior Engineer 7. Pankaj Kumar, Clerk 8. Pradeep , Clerk 9. Tasleem , Clerk 10. Satbir Singh, Contractor			accordingly.
7.	05 Dated 19.07. 2021 Farida bad.	This inquiry has been registered vide Memo No. 52/75/2019-2Vig (II) dated 14.07.2021 by the Governme nt of Haryana, Vigilance Departme nt on the basis of complaint of complainants Shri Sahi Ram, Dharam Pal S/o Chitru and Raj Kumar & Rajinder R/o Village Anangpur, District Faridabad.	Officers/Of ficials of Municipal Corporatio n, Faridabad.	Causing financial loss of Crores of Rupees to Governme nt by the Officers/Off icials of HSVP, MC, Faridabad and Excise &Taxation Departmen t, Faridabad in connivance with land Mafias namely S/Shri Rajesh Thakur,Sur esh Bansal and Om Prakash Bainsla.	Under process.	The recommendati on/ decision is awaited from the Vigilance Department of the State Government.

**The status of cases received from Vigilance Department pertaining to  
Municipal Corporation, Faridabad for the period from 2014 to December,  
2021**

<b>Sr. No.</b>	<b>Inquiry No.</b>	<b>Reason for Registrati on</b>	<b>Against</b>	<b>Allegation</b>	<b>Recommendati on/Decision of the Vigilance Department</b>	<b>Action taken by the Urban Local Bodies Department</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
8.	06 Dated 21.12. 2021 Farida bad	This inquiry has been registered vide memo No. 52/45/202 0-5Vig(II) dated 08.12.202 1 by the Governme nt of Haryana, Vigilance Departme nt on the basis of inquiry report received from ADGP, CID, Haryana, Panchkula.	Shri Satbir Singh, Contractor and Officers/Of ficials of Municipal Corporatio n, Faridabad.	Causing financial loss to the Governme nt by committing irregulariti es while execution of work of putting iron railings by Shri Satbir Singh, Contractor in connivance with Officers/Off icials ofMunicipal Corporatio n, Faridabad.	Under process.	The recommendati on/ decision is awaited from the Vigilance Department of the State Government.
9.	08 dated 29.12. 2021 Farida bad	This inquiry has been registered vide memo No. 52/45/202 0-5Vig (II) dated 23.12.202 1 by the Governme nt of Haryana, Vigilance Departme nt on the basis of complaint dated 11.08.202 1 received from Commissio	Shri Praveen Kumar, Contractor &Officers/ Officialsof MCF.	Causing financial loss to Governme ntwhile execution of work of maintenan ce of sewer line in Ward Nos. 36 and 40 by Shri Praveen Kumar, Contractor in connivance with Officers/Off icials of Municipal Corporatio n,	Under process.	The recommendati on/ decision is awaited from the Vigilance Department of the State Government.

The status of cases received from Vigilance Department pertaining to Municipal Corporation, Faridabad for the period from 2014 to December, 2021						
Sr . No .	Inquiry No.	Reason for Registration	Against	Allegation	Recommendation/Decision of the Vigilance Department	Action taken by the Urban Local Bodies Department
A	B	C	D	E	F	G
		ner, Municipal Corporation, Faridabad.		Faridabad.		

नगरनिगमफरीदाबादमें घोटालों की संख्या

\*1866. श्रीनीरज शर्मा, एम.एल.ए.: क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि:—

(क) वर्ष 2014 से दिसम्बर, 2021 तक नगर निगम फरीदाबाद में उजागर हुए घोटालों की संख्या कितनी है तथा विजिलेंस विभाग को जांच के लिए सौंपे गए घोटालों की संख्या कितनी हैं; तथा

(ख) उपरोक्त घोटालों की विजिलेंस विभाग द्वारा की गई जांच की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है?

### डॉ० कमलगुप्ता, शहरीस्थानीय निकाय मंत्री

श्रीमान् जी, इस बारे विवरण सदन के पटल पर अनुबन्ध— "ए" पर उपलब्ध है।

वर्ष 2014 से दिसम्बर, 2021 की अवधि तक चौकसी विभाग से प्राप्त नगर निगम, फरीदाबाद से सम्बन्धित मामलों की स्थिति						
क्र० सं०	जांच क्रमांक	दर्ज करने का आधार	विरुद्ध	आरोप	चौकसी विभाग द्वारा दिये गये निर्णय/सिफारिश	शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
क	ख	ग	घ	ड	च	छ
1.	01 दिनांक 01.08.2014, फरीदाबाद।	यह जांच शिकायतकर्ता श्री रविन्द्र चावला निवासी मकान नं० 5जे/46, एन0आई0टी0, फरीदाबाद से प्राप्त शिकायत दिनांक 15.04.2014 के आधार पर चौकसी विभाग, हरियाणा के यादि क्रमांक 52/57/2013-1चौ(II) दिनांक 17.07.2014 अनुसार दर्ज की गई।	नगर निगम, फरीदाबाद के अधिकारी/कर्मचारी।	नगर निगम, फरीदाबाद के बैंक खातों, मासिक आमदनी/खर्चा व ऑडिट का लेखा-जोखा न रखने में आपस में मिलीभगत करके अनियमितताएं बरतकर नगर निगम को वित्तीय हानि पहुंचाने बारे।	चौकसी विभाग, हरियाणाद्वारा यादि क्रमांक 52/57/2013- चौकसी(II) दिनांक 26.02.2019 द्वारा मामलें में निर्णय ले लिया गया है तथा शहरी स्थानिय निकाय विभाग को सूचित कर दिया गया है। नगर निगम, फरीदाबाद की लेखा शाखा में कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध कई बैंक खाते खोलने, बैंक खातों का कैश बुक से मिलान न होने, बाउंस हुये चैक के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करने, कार्यालय की वैब साईट पर आय एवं व्यय का विवरण अपलोड न करने, आउटसोर्सिंग एजन्सियों के साथ एग्रीमेंट न करने, नियमित कर्मचारियों का भविष्य निधि का पैसा जमा न कराने इत्यादि बारे आरोप लगाये गये थे। इन सभी आरोपों पर चौकसी विभाग द्वारा जांच की गई थी तथा किसी भी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध इनमे से कोई आरोप सिद्ध नहीं	शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा चौकसी विभाग के निर्णय अनुसार नगर निगम, फरीदाबाद को बाउंस हुये चैक की रिकवरी करवाने हेतु निर्देशित किया गया था। नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा अब तक कुल 1182 अनादरित (डिसऑनर) चैको के मु० 4.49 करोड़ रुपये में से 502 अनादरित (डिसऑनर) चैको का मु० 1.37 करोड़ रुपये वसूल किये है तथा बचे हुये 680 अनादरित (डिसऑनर) चैको के मु० 3.12 करोड़ रुपये की वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही हैं।

वर्ष 2014 से दिसम्बर, 2021 की अवधि तक चौकसी विभाग से प्राप्त नगर निगम, फरीदाबाद से सम्बन्धित मामलों की स्थिति						
क्र० सं०	जांच क्रमांक	दर्ज करने का आधार	विरुद्ध	आरोप	चौकसी विभाग द्वारा दिये गये निर्णय/सिफारिश	शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ
					हुये थे। चौकसी विभाग द्वारा नगर निगम, फरीदाबाद को बाउंस चैक के सम्बन्ध में कार्रवाई करने बारे सुझाव दिया गया।	
2.	जांच क्रमांक 01 दिनांक 06.01.2015	एनआईटी, फरीदाबाद में 8012 वर्ग गज सरकारी भूमि मेसर्स इंडियन हार्डवेयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड को धोखाधड़ी से हस्तांतरित करने में साक्ष्य को छुपाकर व भू-स्वामियों से मिलीभगत करके फर्जी दस्तावेज के आधार पर नक्शे पास करने बारे।	1. विनोद सिंह, सहायक अभियंता, नगर निगम, फरीदाबाद। 2. दयाकिशन सोलंकी, कनिष्ठ अभियंता। 3. सतीश अग्रवाल, कार्यकारी अभियंता 4. अधिकारी/कर्मचारी, जिला नगर योजना कार तथा प्राईवेट व्यक्ति।	एनआईटी, फरीदाबाद में 8012 वर्ग गज सरकारी भूमि मेसर्स इंडियन हार्डवेयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड को धोखाधड़ी से हस्तांतरित करने में साक्ष्य को छुपाकर व भू-स्वामियों से मिलीभगत करके फर्जी दस्तावेज के आधार पर नक्शे पास करने बारे।	चौकसी विभाग द्वारा जांच क्रमांक 01 दिनांक 06.01.2015 में नगर निगम फरीदाबाद के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं प्राईवेट लोगों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का निर्णय लिया गया था। इस जांच में धारा 420, 467, 468, 471, आईपीसी की धारा 120बी एवं पीसी 13(1) के अन्तर्गत पुलिस थाना, राज्य चौकसी ब्यूरो, फरीदाबाद में मुकदमा नं० 03 दिनांक 22.08.2019 दर्ज किया गया था।	1. यह मामला राज्य चौकसी ब्यूरो के अनुसंधानधीन है तथा चौकसी विभाग द्वारा जांच के पूर्ण होने उपरांत कार्रवाई कर ली जायेगी। 2. इसके साथ साथ, राज्य सरकार द्वारा सभी आरोपियों के विरुद्ध हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियमावली, 2016 के अन्तर्गत चार्जशीट जारी करने का निर्णय लिया गया है। 3. श्री राजेश नन्दन, हैड ड्राफ्ट्समैन के विरुद्ध जारी चार्जशीट को नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा इस शर्त के साथ ड्राप किया गया है कि चौकसी विभाग के निर्णय अनुसार कार्रवाई की जायेगी। तदनुसार सरकार को भी सूचित किया जा चुका है। 4. राज्य सरकार के यादी क्रमांक 12/104/2019-5क1 दिनांक 27.04.2020 अनुसार सर्व श्री विनोद सिंह, सहायक अभियन्ता तथा डी०के० सौलंकी, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, जो कि उस वक्त भवन एवं सर्वे शाखा में नियुक्त थे, को आरोपों से बरी कर दिया गया था।
3.	05 दिनांक 26.04.2019 फरीदाबाद।	यह जांच आसूचना रिपोर्ट क्रमांक 02 दिनांक 06.01.2019, फरीदाबाद के आधार पर चौकसी विभाग, हरियाणा के यादी क्रमांक 52/10/2019-2चौ(II) दिनांक 24.04.2019 अनुसार दर्ज	नगर निगम, फरीदाबाद के अधिकारी/कर्मचारी।	नगर निगम, फरीदाबाद के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा बडखल विधान सभा क्षेत्र में बौद्ध विहार चौक से आईटीआई0, आईटीआई0	चौकसी विभाग द्वारा यादी क्रमांक 52/10/2019-2चौ(II) दिनांक 22.04.2021 द्वारा जांच क्रमांक 05 दिनांक 26.04.2019 निरस्त कर दी गई क्योंकि यह जांच एक अन्य जांच क्रमांक 06 दिनांक 10.05.	जांच क्रमांक 05 दिनांक 26.04.2019 पर शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जानी है।

वर्ष 2014 से दिसम्बर, 2021 की अवधि तक चौकसी विभाग से प्राप्त नगर निगम, फरीदाबाद से सम्बन्धित मामलों की स्थिति						
क्र० सं०	जांच क्रमांक	दर्ज करने का आधार	विरुद्ध	आरोप	चौकसी विभाग द्वारा दिये गये निर्णय/सिफारिश	शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ
		की गई।		से नीलम चौक, नीलम चौक से हार्डवेयर चौक, हार्डवेयर चौक से बौद्ध विहार चौक की पेरी-फेरी रोड पर तारकोल की सड़क बनाने के कार्यों में अनियमितताओं कर के करोड़ों रूप्यों का घोटाले करने बारे आरोप है।	2019 (तालिका के क्रम संख्या 4 पर वर्णित)का हिस्सा है तथा इस जांच में वर्णित आरोप जांच क्रमांक 06 दिनांक 10.05.2019(तालिका के क्रम संख्या 4 पर वर्णित) में अनुसंधानधीन है।	
4.	06 दिनांक 10.05.2019 फरीदाबाद।	यह जांच शहरी स्थानीय निकाय विभाग से प्राप्त यादि क्रमांक 21/58/2018-5सी.आई. दिनांक 12.12.2018 के आधार पर चौकसी विभाग, हरियाणा के यादि क्रमांक 52/22/2019-2चौ(II) दिनांक 06.05.2019 अनुसार दर्ज की गई।	1. दौलत राम भास्कर (डी0आर0भास्कर), मुख्य अभियंता, नगर निगम, फरीदाबाद। 2. दीपक थापर, तत्कालीन संयुक्त आयुक्त, अंकेक्षण (ऑडिट)। 3. बी0के0, कार्यकारी अभियंता। 4. श्याम सिंह, कार्यकारी अभियंता,। 5. अजय कुमार, कार्यकारी अभियंता।	श्री डी0आर0 भास्कर, मुख्य अभियंता तथा श्री डी0आर0 भास्कर, मुख्य अभियन्ता, तथा नगर निगम, फरीदाबाद के अधिकारी/कर्मचारी व अन्य द्वारा कल्याणपुरी बस्ती नं० 3 पर एन0आई0टी0, फरीदाबाद में नाले की पुलिया का निर्माण कार्य व बौद्ध विहार चौक से आई0टी0आई0, आई0टी0आई0 से नीलम चौक, नीलम चौक से हार्डवेयर चौक, हार्डवेयर चौक से बौद्ध विहार चौक की पेरी-फेरी रोड पर तारकोल की सड़क बनाने के कार्यों में अनियमितता करके करोड़ों रूप्यों का घोटाले करने बारे आरोप है।	राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा यादि क्रमांक 414 दिनांक 11.01.2022 अनुसार चौकसी विभाग, हरियाणा को सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 166, 167, 218, 120-बी, 201 भा0द0स0 व 13(1)डी आर0डब्ल्यू0 13(2) पी0सी0 एक्ट के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का सुझाव दिया गया है। राज्य सरकार ने राज्य चौकसी ब्यूरो को आरोपियों के विरुद्ध आरोप नं० 3 के पार्ट नं० 6 व 7 के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने के आदेश जारी किये हैं। इसके साथ ही राज्य चौकसी ब्यूरो तथा प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) से कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।	चौकसी विभाग, राज्य सरकार का निर्णय/सिफारिश अभी अपेक्षित है।

वर्ष 2014 से दिसम्बर, 2021 की अवधि तक चौकसी विभाग से प्राप्त नगर निगम, फरीदाबाद से सम्बन्धित मामलों की स्थिति						
क्र० सं०	जांच क्रमांक	दर्ज करने का आधार	विरुद्ध	आरोप	चौकसी विभाग द्वारा दिये गये निर्णय/सिफारिश	शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ
			6. रमेश बंसल, अधीक्षण अभियंता । 7. मदन मोहन सचदेवा, कनिष्ठ अभियंता । 8. नवल सिंह, सहायक अभियंता । 9. खेमचन्द , सहायक अभियंता । 10. शेर सिंह, कनिष्ठ अभियंता । 11. प्रेमराज, कार्यकारी अभियंता । 12. पंकज कुमार, लिपिक । 13. प्रदीप, लिपिक । 14. तस्लीम लिपिक । 15. सतबीर सिंह, ठेकेदार, नगर निगम । 16. राज कुमार गांधी, प्रो० मैसर्स आर. के. गांधी,			



वर्ष 2014 से दिसम्बर, 2021 की अवधि तक चौकसी विभाग से प्राप्त नगर निगम, फरीदाबाद से सम्बन्धित मामलों की स्थिति						
क्र० सं०	जांच क्रमांक	दर्ज करने का आधार	विरुद्ध	आरोप	चौकसी विभाग द्वारा दिये गये निर्णय/सिफारिश	शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ
			पी०एस० कंस्ट्रक्शन व उसकी फर्म। 17. श्री राधा प्रो० मैसर्स राधा कंक्रीट प्रोडक्शन व उसकी फर्म।			
5.	02 दिनांक 12.03.2020 फरीदाबाद।	यह जांच शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रस्ताव/शिकायत के आधार पर चौकसी विभाग, हरियाणा के यादि क्रमांक 52/204/2019-2 चौ (II) दिनांक 08.03.2020 अनुसार दर्ज की गई।	नगर निगम, फरीदाबाद के अधिकारी /कर्मचारी व श्री चेताराम तत्कालीन पटवारी, बल्लभगढ़।	बल्लभगढ़ शहर में भूमाफियाओं द्वारा राजनैतिक व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके कल्पना चावला पार्क की भूमि पर कब्जा करना। कल्पना चावला पार्क लगभग 40 वर्ष पुराना एक मात्र ही पार्क है। जिसमें समस्त बल्लभगढ़वासी स्वास्थ्य लाभ उठाते हैं, लेकिन समाचार पत्रों से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार 5 अगस्त को कुछ लोगो ने नगर निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों से मिलीभगत करके पार्क पर अवैध कब्जा करने बारे आरोप है।	राज्य चौकसी ब्यूरो के यादि क्रमांक 2660 दिनांक 18.02.2022 अनुसार चौकसी विभाग, हरियाणा को भेजी गई रिपोर्ट में श्री चेताराम तत्कालीन पटवारी, बल्लभगढ़ के विरुद्ध धारा 5(डी) पी०सी० एक्ट के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का सुझाव दिया गया है। राज्य सरकार ने राज्य चौकसी ब्यूरो को श्री चेताराम, पटवारी के विरुद्ध पी०सी० एक्ट की धारा 5(डी) के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने के आदेश जारी किये हैं।	चौकसी विभाग, राज्य सरकार का निर्णय/सिफारिश अभी अपेक्षित है।
6.	02 दिनांक 10.02.2021 फरीद	यह जांच शिकायतकर्ता श्री दीपक चौधरी, पार्षद, वार्ड नं० 37, फरीदाबाद व अन्य पार्षदों से प्राप्त शिकायत दिनांक	1. दौलत राम भास्कर (डी०आर०भास्कर), मुख्य	नगर निगम, फरीदाबाद विभिन्न वार्डों में कार्यों में अनियमितता आरोप है।	राज्य चौकसी केयादि क्रमांक 1838 दिनांक 04.02.2022 अनुसार चौकसी विभाग, हरियाणा को सभी आरोपियों के	चौकसी विभाग, राज्य सरकार का निर्णय/सिफारिश अभी अपेक्षित है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा सर्व श्री डी०आर० भास्कर, मुख्य अभियन्ता, रमन शर्मा, तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता तथा विशाल कौशिक, लेखा अधिकारी के विरुद्ध हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम 7 के अन्तर्गत चार्जशीट जारी

वर्ष 2014 से दिसम्बर, 2021 की अवधि तक चौकसी विभाग से प्राप्त नगर निगम, फरीदाबाद से सम्बन्धित मामलों की स्थिति						
क्र० सं०	जांच क्रमांक	दर्ज करने का आधार	विरुद्ध	आरोप	चौकसी विभाग द्वारा दिये गये निर्णय/सिफारिश	शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ
	फरीदाबाद।	शून्य के आधार पर चौकसी विभाग, हरियाणा के यादिका क्रमांक 52/45/2020-5चौ(II) दिनांक 05.02.2021 अनुसार दर्ज की गई।	अभियंता , नगर निगम, फरीदाबाद। 2. दीपक थापर, तत्कालीन संयुक्त आयुक्त, अंकेक्षण (ऑडिट)। 3. रमन शर्मा, कार्यकारी अभियंता। 4. शेर सिंह, सहायक अभियंता। 5. दीपक कुमार, सहायक कनिष्ठ अभियंता। 6. राजन तेवतिया , कनिष्ठ अभियंता। 7. पंकज कुमार, लिपिक। 8. प्रदीप, लिपिक। 9. तस्लीम लिपिक। 10. सतबीर सिंह, ठेकेदार, नगर निगम।		विरुद्ध धारा 166, 167, 218, 420, 409, 467, 468, 471, 120-बी, 201 भा0द0स0 व 7, 13 पी0सी0 एक्ट के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का सुझाव दिया गया है। जांच रिपोर्ट के निरीक्षणोपरान्त चौकसी विभाग, राज्य सरकार द्वारा राज्य चौकसी ब्यूरो को कुछ बिन्दुओं पर पुनः निरीक्षण करने बारे कहा गया है।	करने का निर्णय लिया गया है। नगर निगम, फरीदाबाद को दिनांक 23.11.2021 को चार्जशीट का प्रारूप भेजने बारे अनुरोध किया गया है। तदानुसार कार्रवाई कर ली जायेगी।

वर्ष 2014 से दिसम्बर, 2021 की अवधि तक चौकसी विभाग से प्राप्त नगर निगम, फरीदाबाद से सम्बन्धित मामलों की स्थिति						
क्र० सं०	जांच क्रमांक	दर्ज करने का आधार	विरुद्ध	आरोप	चौकसी विभाग द्वारा दिये गये निर्णय/सिफारिश	शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ
7.	05 दिनांक 19.07.2021 फरीदाबाद।	यह जांच शिकायतकर्ता श्री सही राम, धर्मपाल पुत्र चितरू तथा राज कुमार व राजेन्द्र, निवासीगण गांव अनंगपुर, जिला फरीदाबाद की शिकायत पर चौकसी विभाग, हरियाणा के यादि क्रमांक 52/75/2019-2चौ(II) दिनांक 14.07.2021 अनुसार दर्ज की गई।	नगर निगम, फरीदाबाद के अधिकारी/कर्मचारी	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, फरीदाबाद व आबकारी एवं कराधान विभाग फरीदाबाद के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भू-माफियागण राजेश ठाकुर, सुरेश बंसल व औम प्रकाश बैसला से मिलीभगत करके सरकार को करोड़ों रुपये का अर्थिक हानि पहुंचाने बारे।	यह जांच अभी प्रगति पर है।	चौकसी विभाग, राज्य सरकार का निर्णय/सिफारिश अभी अपेक्षित है।
8.	06 दिनांक 21.12.2021 फरीदाबाद।	यह जांच अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तचर विभाग, हरियाणा, पंचकूला से प्राप्त जांच रिपोर्ट पर चौकसी विभाग, हरियाणा के यादि क्रमांक 52/45/2020-5चौ(II) दिनांक 09.12.2021 अनुसार दर्ज की गई।	सतबीर सिंह, ठेकेदार, व कर्मचारी/अधिकारी, नगर निगम, फरीदाबाद।	सतबीर सिंह, ठेकेदार, व कर्मचारी/अधिकारी, नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा आपस में मिलीभगत करके लोहे की रेलिंग लगाने के कार्य में अनियमितताएं बरतकर सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने बारे।	यह जांच अभी प्रगति पर है।	चौकसी विभाग, राज्य सरकार का निर्णय/सिफारिश अभी अपेक्षित है।
9.	08 दिनांक 29.12.2021 फरीदाबाद।	यह जांच आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद से प्राप्त शिकायत दिनांक 11.08.2021 के आधार पर चौकसी विभाग, हरियाणा के यादि क्रमांक 52/45/2020-5चौ(II) दिनांक 23.12.2021 अनुसार दर्ज की गई।	श्री प्रवीण कुमार, ठेकेदार व कर्मचारी/अधिकारी, नगर निगम, फरीदाबाद।	प्रवीण कुमार, ठेकेदार, व कर्मचारी/अधिकारी, नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा आपस में मिलीभगत करके वार्ड नं० 36 व 40 में सीवर लाईन की रख-रखाव के कार्य में अनियमितताएं बरतकर सरकार को आर्थिक	यह जांच अभी प्रगति पर है।	चौकसी विभाग, राज्य सरकार का निर्णय/सिफारिश अभी अपेक्षित है।

वर्ष 2014 से दिसम्बर, 2021 की अवधि तक चौकसी विभाग से प्राप्त नगर निगम, फरीदाबाद से सम्बन्धित मामलों की स्थिति						
क्र० सं०	जांच क्रमांक	दर्ज करने का आधार	विरुद्ध	आरोप	चौकसी विभाग द्वारा दिये गये निर्णय/सिफारिश	शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ
				नुकसान पहुंचाने बारे।		